झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची।

पत्र सं0:–03/त0वि0–04/17 त0शि0/ 9 /बजट /रॉची, दिनांकः– 25·06·2025

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची के पी0एल0 खाता में राशि भुगतान हेतु रू0 2,00,00,000/–(रू0 दो करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यदेश सं0 – 10/योजना दिनांक–24.06.2025 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु पी0एल0 खाता में राशि भुगतान हेतु रू0 2,00,00,000/–(रू0 दो करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

02. उक्त राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–AM–राज्य अन्तर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान/विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान इकाई में उपबंधित राशि के अधीन रू0 10,00,00,000/– (रू0 दस करोड़) में से रू0 2,00,00,000/– (रू0 दो करोड़) मात्र विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S220300796AM010679**)

03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक–निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। जो प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची, हिनू के ज्ञापांक 85 दिनांक 23.10.2017 के आलोक में राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए जमा करायेंगे।

04. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से की जायेगी।

05. राशि की निकासी एवं व्ययन, वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। इसके साथ ही कुलपति झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2011 में निरूपित नियमों के आलोक में ही राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेगें।

06. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय के कुलपति सुनिश्चित करेगें।

07. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक COBT के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय के निरूपित नियमों को

08. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के नियम 339—344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष 8448 से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जायेगी।

09. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित हैं तथा कोड 2102 है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात Online उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जाय, इसके लिए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगें।

12. उपलब्ध कराये गए राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के न्युनतम आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर करने के पश्चात ही अन्य के लिए किया जायेगा।

13. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड़ रॉची का होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/—
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 03/त0वि0—04/17 त0शि0 /रॉची, दिनांकः—
प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 03/त0वि0—04/17 त0शि0 /9/बजट /रॉची, दिनांकः— 25.06.2025
प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड्ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/VI/25

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 03/tvi-04/17-ts/09/BUDGET

दिनांक - 25-Jun-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300796AM010679 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AM - राज्य अन्तर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान 01-राज्य सरकार/केन्द्रीय/गैर सरकारी तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों को सहायता अनुदान तथा छात्रवृत्ति सहित। 06 - अनुदान **State Scheme**	38127	DRNEDN047 DR. RAJSHEKHAR PRASAD ASSTT. DIR.CUM DDO T. EDN. DIR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	20,000,000.00 रुपये दो करोड़

State Scheme : GRANT-IN-AID TO TECHNICAL/PROFESSIONAL INSTITUTES OF STATE GOVERNMENT/CENTRAL

Centeral Scheme : GOVERNMENT AIDED/NON-GOVERNMENT INCLUDING SCHOLARSHIP(2102)

योग:		20,000,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड	